

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज

तारीख
हुक्म

में ज.

26/1/22

पञ्चावली काउंट्री इण्डिया वकील प्रावर्गण
 अस्थित विवादीगण अनुपस्थित
 विवादीगण को कोर्ट समय में तीन
 बार तीन-तीन आवानों दिली गये
 आवानों दिली के विवादीगण
 अनुपस्थित। विवादीगण के विपक्ष
 एक तरफ कार्यवाही की जाती है।
 वकील प्रावर्गण के अदर सुनी,
 कोर्ट काला के बिरवाया जाकर
 सुनले न्यायालय सुकाला गया। कोर्ट
 की पालनार्थ तद्वीर जारी है। पालन
 प्राप्त होने पर शामिल पञ्चावली
 की जावे। पञ्चावली विवाय सुकार
 होकर इरिक्ल इफ्तार है।



YM

उपखण्ड अधिकारी, गुडामाला

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (ब)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

ण संख्या: 66 / 2022

प्रार्थीगण :-

1. मोहन पुत्र अमरा
 2. कलाराम पुत्र अमरा
 3. सावलाराम पुत्र अमरा
 4. तेजाराम पुत्र अमरा
 5. तलछी पत्नि अमरा
 6. तिलोका पुत्र तारा
 7. खुशाला पुत्र तारा
 8. जबराराम पुत्र छगनाराम
 9. अजाराम पुत्र छगनाराम
- जाति माली निवासी मोरसीम, खारबा तहसील गुडामालानी जिला बाइमेर

बनाम


विप्रार्थीगण :-

1. वीरा पुत्र मनजी
2. कृष्ण पुत्र मनजी
3. लक्ष्मण पुत्र भाना
4. छगना पुत्र भाना जाति तीरगर
5. वगताराम पुत्र चिमनाराम
6. पुरखाराम पुत्र चिमनाराम
7. जबराराम पुत्र वालाराम
8. रखमो पत्नि कसाराम
9. खानाराम पुत्र कसाराम
10. भीमाराम पुत्र कसाराम
11. अमराराम पुत्र कसाराम जाति मेगवाल
12. तेजा पुत्र दुरगा
13. हरा पुत्र दुरगा
14. चुतरा पुत्र दुरगा जाति रबारी निवासी सोढों की ढाणी, रतनपुरा तह0 गुडामालानी
15. नानजी पुत्र देवा
16. होती पुत्र देवा
17. नानजीराम पुत्र लाधाराम जाति कलबी निवासी रतनपुरा
18. हाजाराम पुत्र डामरा
19. दलुदेवी पत्नी हाजाराम
20. हीरा दत्तक पुत्र तुलछा जाति कलबीनिवासी लूणवा जागीर तहसील गुडामालानी
21. गिरधारी पुत्र सुरता
22. रामा पुत्र सुरता जाति जाट निवासी सोढों की ढाणी, रतनपुरा
23. कुष्ठा पुत्र हरीया
24. लेहरों पत्नी हरीया
25. रिडमल पुत्र सालू
26. मेरा पुत्र सालू
27. ईशरा पुत्र लाला
28. केरीया पुत्र लाला
29. लुम्बा पुत्र लाला
30. गेना पुत्र लाला फौत के कायम मुकाम:-
31/1 जगदीश पुत्र गेना
30/2 प्रभु पुत्र गेना
31. उदा पुत्र नानजी
32. मांगा पुत्र नानजी
33. प्रेमा पुत्र नानजी
34. खाना पुत्र रूडा
35. मोबता पुत्र रूडा
36. गजा पुत्र रूडा
37. ठमा पुत्र रूडा
38. उमेदा पुत्र रूडा

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री जगदीश विश्नोई की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम जमाबंदी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी सरहद मौजा सोढों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 475 रकबा 5.1638 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 548 रकबा 5.1962 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माटे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पड़ोसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा सोढों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 475 रकबा 5.1638 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 548 रकबा 5.1962 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/- शुल्क पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 26/7/22 को खुले न्यायालय सुनाया गया।


(प्रसाद कुमार) गुड़ामालानी
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी